संख्या– 442 / वि0अनु0–1 / 2004

प्रेषक,

के0सी0मिश्र,
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 11 जून,2004

विषयः– 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 में नगर निगम को धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 11वें वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नगर निगम, देहरादून को चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 हेतु रू0 **3600500.00** (छत्तीस लाख पांच सौ मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है।

1. संक्रमित की जा रही धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत मैचिंग कन्ट्रीव्यूशन निकाय को अपनी स्वयं के स्रोत से आय से मिलाना होगा।
2. राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर संक्रमित की गयी धनराशि को मैचिंग कन्ट्रीव्यूशन के रूप में नही लगाया जा सकेगा।
3. उक्त अनुदान नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, पेयजल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था/सफाई जिसमें नालियों एवं अन्य कार्य सम्मिलित हैं, शमशाट घाट व कब्रिस्तान आदि का रख रखाव, जल सुविधाओं तथा अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन के लिए दिया गया है। सामान्यतः इन अनदानों से वह योजनाऐं पूरी की जानी चाहिए जो कि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार की अन्य सेवाओं से आच्छादित नही है।
4. संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बंधित आयुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का

उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए संक्रमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

5. नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि की नियमानुसार उपयोग समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तों का अनुपालन अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी। चूंकि यह धनराशि वर्ष 2002–2003 की अवधि की है अतः वर्ष 2002–2003 में प्रस्तर तीन में उल्लिखित कार्यों के 50 प्रतिशत अंश के सापेक्ष इस धनराशि का समायोजन प्रदर्शित किया जा सकता है।

7. इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तत्काल वित्त विभाग को किये गये कार्यों के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा और तभी अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।

8. इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–191–नगर निगम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं –0101–11वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त।

C:\Rawat\11 SFC GO june\11 sfc Nagar palika.docnode-4

संख्या-442(1)वि0अनु0–1/2004 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर्स भवन, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल।
3– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, निदेशालय, देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, देहरादून।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0 जी0 ओ0 कोम्पलेक्स, नई दिल्ली।
10–एन0आई0 सी0, सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।
11. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव, वित्त।